विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009
Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, **Phone No.** 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 44 रायपुर, दिनांक 11 MAY 2026

प्रति,

1. Smt. Ritu Dhivar,
   DDU Nagar Raipur (C.G.)
   Mob.No. 78030-03875

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक / 12 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)
सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

विषयः– सुरक्षानिधि राशि वापस करने बाबत् ।

प्रकरण क्रमांक / 12 / रायपुर / 2026

Smt. Ritu Dhivar, ...आवेदिका

DDU Nagar Raipur (C.G.)

Mob.No. 78030-03875

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम), ...उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 11 / 05 / 2026 को घोषित)

1. आवेदिका Smt. Ritu Dhivar द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 30.03.2026 यह है कि "मैंने अपना Temporary Meter कनेक्शन वापस कर दिया है और सुरक्षा मनी रिफन्ड के लिए फॉर्म भी भर के DDU नगर ऑफिस में जमा कर दिया । लेकिन दो महीना बाद अभी तक कोई पैसा वापसी नहीं हुआ है । Temporary Meter लगाने से पहले उपभोक्ता को पैसे जमा करना होता है । लेकिन जब उसी पैसे को वापस लेना हो तो इतना Delay ये सही नहीं है । निवेदन है कि Refund का Process जल्द से जल्द करें ।"

2. यह कि उत्तरवादी प्रतिनिधि सहायक अभियंता डी.डी. नगर जोन, छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 58 दिनांक 23.04.2026 को सूचित किया है कि :–

यह कि उपभोक्ता रितु धीवर डूमर तालाब रायपुर बी.पी.क्रमांक 1008787512 प्रयोजन अस्थाई घरेलू कनेक्शन में सुरक्षानिधि की वापसी हेतु शिकायत दर्ज की गई थी । सुरक्षानिधि की वापसी भुगतान दिनांक 21.04.2026 को आनलाईन माध्यम से उपभोक्ता के खाते में कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है । वर्तमान में उपभोक्ता को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, तत्संबंध में उपभोक्ता का आवेदन संलग्न है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :– दिनांक 29.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसाार है :–

3. यह कि मानदेव किराना स्टोर के सामने, डुमरतालाब रायपुर स्थित एवं आवेदिका के परिसर में आवेदिका के नाम पर 1.0 कि.वा. भार का अस्थायी घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1008787512 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया था । आवेदिका के अनुसार अस्थायी विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिए जाने एवं इस विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा, वापसी योग्य सुरक्षा निधि राशि को वापस किए जाने हेतु उसके द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात लगभग दो माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उसकी जमा सुरक्षा निधि की राशि वापस नहीं की गयी है जो कि अनुचित है । आवेदिका द्वारा इस संबंध में उत्तरवादी के आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर–1 में शिकायत (CGRFT1R40000308) दर्ज करायी गयी थी जिसके प्रत्युत्तर में उत्तरवादी द्वारा सुरक्षा निधि राशि की वापसी का प्रक्रियाधीन होना बताया गया ।

4. यह कि अपने स्थायी रूप से विच्छेदित अस्थायी कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि को वापस किए जाने में उत्तरवादी द्वारा किए जा रहे विलंब से असंतुष्ट होकर एवं अपने अस्थायी कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि राशि को अविलंब वापस किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदिका द्वारा आनलाईन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल के टीयर–2 में शिकायत (CGRFT2R40000035) दर्ज करायी गयी है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 58 दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदिका के अस्थायी विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा वापसी योग्य सुरक्षा निधि की राशि दिनांक 21.04.2026 को आवेदिका के खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है एवं आवेदिका द्वारा इस कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी है । वर्तमान में उपभोक्ता को इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है ।

6. यह कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के साथ आवेदिका द्वारा उत्तरवादी को प्रेषित संतुष्टि पत्र भी संलग्न है जिसमें आवेदिका द्वारा लेख किया गया है कि अपने विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि की वापसी के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उत्तरवादी द्वारा

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

दिनांक 21.04.2026 को सुरक्षा निधि की वापसी योग्य राशि उनके खाते में स्थानांतरित कर दी गयी है । आवेदिका द्वारा इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता का नहीं होना बताया गया है ।

7. यह कि आवेदिका द्वारा उत्तरवादी की, सुरक्षा निधि राशि की वापसी की कार्यवाही से स्वयं के संतुष्ट होने संबंधी किए गए लेख के बाद फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

8. आदेश पारित ।

9. प्रकरण निराकृत ।

10. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)

निर्णय घोषित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर (शहर)